23.12.25
वकु. पक्ष. उप./आज पीठासीन अधिकारी महो. के ~~भ्रमण~~/अन्य राज्य कार्य/~~अवकाश~~ पर होने से पत्रा. पूर्वादेश की पालना में दिनांक 30.06.26 को पेश हो।

30.03.26

माननीय संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर की राजस्व प्रकरणो की समीक्षा बैठक से पूर्व उक्त प्रकरण को देखा गया/ जिस पर पत्रावली सिगट से तलब की गई/

उक्त विचाराधीन प्रकरण में इस न्यायालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से उक्त प्रकरण माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रखते हुए इस न्यायालय से यह प्रकरण इस निर्देश के साथ निर्णीत किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार यदि उक्त प्रकरण में कार्यवाही अपेक्षित की जाती है तो पुनः नियमानुसार प्रकरण दर्ज करें/

पत्रावली कैंसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो/

जि. कलक्टर
राजसमन्द